प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज **दिनांक 07-11-2023** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-बैटरा चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ाः-

अवगत कराना है कि दिनांक 04-11-2023 को वादी अबनेश सिंह पुत्र स्व0 डी0एस0 सिंह निवासी टी0एम0यू कैम्पस बागडपुर थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त टी0एम0यू की बस से बैटरी चोरी करने के संबंध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-362/2023 धारा-379 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 07-11-2023 को उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह तोमर द्वारा मय हमराह पुलिस बल के गुलाम मुस्तफा पुत्र अब्दुल मुत्तलीब निवासी नौसेना शेखूपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कब्जे से बैटरा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी।

2-अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 07-11-2023 को उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र यादव थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराह पुलिस बल के रिजवान पुत्र बाबू कुरैशी निवासी महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 1.5 किलोग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-351/2023 धारा-272/273 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3- फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर लोगों की जमीन का धोखाधड़ी से बैनामा कराने के एक आरोपी को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से कम्पयूटर, मोबाईल व अन्य डिवाइस की बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद मुरादाबाद में वांछित व लगातार घट रही धोखाधड़ी की घटनाओ के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स मुरादाबाद के नेतृत्व व पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 07-11-2023 को थाना सिविल लाइन्स पुलिस टीम द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 865/2023 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि व थाना भोजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-327/2023 धारा-419/420/467/468/471/504/506/120बी भा0द0वि0 के अभियुक्त मौ0 रिहान अली पुत्र बाबू अली निवासी ग्राम जाहिदपुर सीकमपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बनाने के उपकरण बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

मौ0 रिहान अली पुत्र बाबू अली निवासी ग्राम जाहिदपुर सीकमपुर थाना भगतपुर,मुरादाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी अभियुक्त-

1.एक माँनीटर AOC कम्पनी
2.एक कीबोर्ड लाँजीटेक कम्पनी
3.एक सीपीयू जैबरोनिक्स कम्पनी
4.एक प्रिन्टर कैनन कम्पनी
5.एक आईरिस डिवाइस मन्त्रा कम्पनी
6.एक राउटर टैन्डा कम्पनी
7.एक जीपीएस डिवाइस
8.एक फिंगर प्रिन्ट डिवाइस मोरफो कम्पनी
9.एक मोबाईल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0-865/2023 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।
2-मु0अ0सं0-327/2023 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
नोटः- अभियुक्त के शेष आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा
2.निरीक्षक अपराध श्री अवध बिहारी सिंह
3.व0उ0नि0 श्री ईलम सिंह
4.हे0का0 गजेन्द्र सिह
5.का0 टिन्कू थाना
6.का0 कुलदीप कुमार